न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 49/2024 बउनवानी मुकेश कुमार मीना बनाम लोक सूचना अति0जिला कलेक्टर स0मा0
पुत्र श्री केलाश चन्द मीना निवासी बिशनपुरा तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/116

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
7.11.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.7.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***"प्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को दिनांक 26.5.2023 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना दिलाये जाने बाबत "*** निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2024/1033 दिनांक 29.10.2024 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 26.7.2024 मे चाही गयी सूचना से संबंधित प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को कार्यालय डिस्पेज क्रमांक 9161 दिनांक 26.5.2023 से उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भिजवाया। यद्यपि तत्समय उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.5.2023 पर उपजिला कलेक्टर कार्यालय मे कार्यवाही नही हुई थी किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ उक्त प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपने पत्रांक 1144 दिनांक 14.8.2024 से तहसीलदार सवाईमाधोपुर को भिजवाया जा चुका है। चूंकि तहसीलदार सवाईमाधोपुर भी स्वंय लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है इसलिए तहसील कार्यालय की सूचनाओं को संकलित कर दिया जाना आवश्यक नही है एवं अपीलान्ट उक्त सूचना सीधे ही तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.7.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय से संबंधित है। जिसके लिए अपीलान्ट को तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे आवेदन कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझती हूँ। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभि[illegible] जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 17:58:11 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner